(क) क्या कुछ बाहरी देशों ने गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पिछले वर्ष राज्यों से इन परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्यवार कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) जी, हां। ब्रिटिश सरकार भारत के विभिन्न शहरों में स्लम सुधार परियोजनाओं के लिए धन जुटा रही है। इसके अलावा, नीदरलैंड और जर्मनी सरकार ने भी क्रमशः बंगलूर तथा नागपुर में स्लम सुधार परियोजनाएं शुरू करने में इच्छा जताई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुलग्नक-1 में संलग्न हैं।

(ग) गत वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश शासन से सागर हैबिटाट सुधार परियोजना बाबत् एक प्रस्ताव मिला था। इसे बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्दौर हैबिटाट सुधार परियोजना नामक एक परियोजना पहले से ही ओ० डी०ए० सहायता के लिए विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते केन्द्र सरकार द्वारा कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

Increase in the Ceiling of House Building Advance

3512. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to revise the ceiling of house building advance to the Central Government employees in view of the phenomenal increase in the cost of construction of houses; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

संसद सदस्यों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को लिखे गए पत्र

3513. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सांसदों द्वारा मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गए और उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती भेजी गई;

(ग) कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर भेजे गये; और

(घ) मंत्रालय द्वारा क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर वाले भेजे गये अन्तिम पत्रों के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन: (क) से (घ) कार्यालय पद्धति मैनुअल के अनुसार सांसदों से प्राप्त पत्रों पर निगरानी रखने का रजिस्टर केवल एक वर्ष की अवधि के लिए रखन होता है।

शहरी विकास मंत्रालय में सांसदों के बड़ी संख्या में पत्र मिलते रहते हैं। अधिकतर पत्रों की पावती भेज दी जाती हैं। सांसदों से प्राप्त